कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/701/पीए/ 2020/ इन्दौर,दिनांक 01-07-2020

//आदेश//

(The Epidemic Disease Act, 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटीफिकेशन No. PS/Health/17/Medi-3/595 Bhopal 23-3-2020 के माध्यम से प्रदत्त अधिकारों के तहत्)

(इन्दौर जिले में मास्क नहीं पहनने, सेनेटाईजर के संबंध में स्पॉट फाईन को संशोधित करने के संबंध में आदेश)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/584/पीए/2020 इन्दौर, दिनांक 29–5–2020 के तहत् स्पॉट फाईन बाबत् आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के तहत् चेहरे पर मास्क न लगाए जाने के संबंध में किए जाने वाली स्पॉट फाईन राशि को संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

1– **चेहरे पर मास्क**

अ– सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, फैक्ट्री आदि कार्यक्षेत्रों में बिना मास्क पहने पाए जाने पर – रूपये 100 प्रति व्यक्ति स्पाट फाईन।

ब– सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य–क्षेत्रों में मास्क को मुंह से नीचे करके सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करे आपस में व्यक्तियों द्वारा बात किए जाने पर –रू रूपये 100 प्रति व्यक्ति जो मास्क नीचे करके आपस में बात करते पाए जाय।

2– **सेनेटाईजर की व्यवस्था**

अ– विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं दुकानों पर आने वाले व्यक्तियों हेतु संस्थान प्रमुख द्वारा सेनेटाईजर व्यवस्था न रखे जाने के कारण किए जाने वाला अर्थ दण्ड – रूपये 200 प्रति संस्थान।

अतः नगर निगम इन्दौर द्वारा एवं विभिन्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा अब उपरोक्तानुसार राशि का स्पॉट फाईन लगाया जा सकेगा। काईसेस मैनेजमेंट की विगत दिनों हुई बैठक में 7 दिवस के लिए स्पॉट फाईन को रोकते हुए एनाउंसमेंट के

Scanned by CamScanner

माध्यम से जागरूकता का कार्य किया गया है तथा 7 दिवस पश्चात नगर निगम एवं जिले के अन्य समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों तथा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उपरोक्तानुसार उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में स्पॉट फाईन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 01-07-2020

पृ०क्र०/ 702 /पीए/2020

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3- पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4- उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5- आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6- समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
8- समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर(नियमित एवं संलग्न)
9- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
10- एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
11- उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
12- थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
13- उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
14- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

Scanned by CamScanner